THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED

Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943
Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458
Email: nationalheralddelhi@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

शेयरधारक कृपया नोट करें कि दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के सदस्यों की 88वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–वीजुअल्स माध्यम से होगी। कृपया नोट करें कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 20/2020, दिनांक 5 मई, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, 09/2023 दिनांक 25/09/2023, 09/2024 दिनांक 19/09/2024 और नवीनतम 03/2025, दिनांक 22 सितम्बर, 2025 (लागू परिपत्र) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना ही सम्पादन के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–वीडियो माध्यमों का उपयोग होगा।

लागू परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सभी संलग्नकों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट) एवं अन्य सभी पत्राचार उन सदस्यों एवं इसके हकदार अन्य सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिका मोड के माध्यम से भेजे जाने हैं जिनके ई–मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत हैं।

इसलिए, हमारा उन शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना फोलियो नम्बर/डीपी/क्लाइंट आईडी, सर्टिफिकेट नं., मोबाइल नं., ई–मेल आईडी के साथ पैन कार्ड/आधार कार्ड/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके अपना ई–मेल पता और स्थायी खाता संख्या कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत कराएं। इसे पंजीकृत कराने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है:

भौतिक धारिता (फिजिकल शेयर होल्डिंग) – शेयरधारक अपना फोलियो नम्बर, पूरा पता, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) की स्कैन की गई स्व–सत्यापित प्रति एवं पंजीकृत कराने वाले ई–मेल पते के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजकर इसे कंपनी को nationalheralddelhi@gmail.com पर भेजकर अपना ई–मेल पता और/या बैंक विवरण पंजीकृत करा सकते हैं।

डीमेट धारिता (डीमेट होल्डिंग): जिन सदस्यों के पास डीमटेरियलाइज़्ड फॉर्म में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") से संपर्क करें और अपना ईमेल पता और/या बैंक विवरण अपडेट करने के लिए उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

शेयरधारकों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों के लिए रिमोटली वोट देने की प्रक्रिया उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजी जाने वाली एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

88वीं एजीएम की सूचना लागू नियमों के अनुपालन में शेयरधारकों को उचित समय में उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजी जाएगी और कंपनी की वेबसाइट https://www.nationalheraldindia.com/corporate-governance/agm पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कृते दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड
हस्ता/–
पवन कुमार बंसल
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिक
DIN: 09015697

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.07.2026

गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L24231UP2000PLC034918)
पंजीकृत कार्यालय: 9वां किमी, जनसठ रोड, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय: जी–81, प्रीत विहार, दिल्ली–110092, भारत
फोन: 011–49999200, फैक्स: 011–49999202
ईमेल: **cs@gulshanindia.com,** वेबसाइट: **www.gulshanindia.com**

शेयरधारकों हेतु सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों तथा वर्ष 2018–2019 के लिए घोषित अप्राप्त अंतिम लाभांश का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों ("अधिनियम") तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 ("नियम"), यथासंशोधित, के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए घोषित अंतिम लाभांश, जो सात वर्षों की अवधि तक अप्राप्त रहा है, दिनांक 24 अक्टूबर, 2026 को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा कर दिया जाएगा। जिन संबंधित इक्विटी शेयरों पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश अप्राप्त रहा है, उनका भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

उक्त नियमों के अनुपालन में, उन सभी संबंधित शेयरधारकों को, जिनके शेयर उपर्युक्त नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, पृथक–पृथक सूचनाएँ प्रेषित की जा रही हैं। ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.gulshanindia.com/transferred-iepf.html. पर उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें :

1. यदि आपके शेयर भौतिक रूप में धारित हैं रू डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी कर उन्हें निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आपके नाम से पंजीकृत एवं आपके पास धारित मूल शेयर

सूचित करते हुए शेयरधारकों के खाते से आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों का अंतरण। संबंधित शेयरधारक कृपया नोट करें कि ऐसे अंतरण के बाद वह आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके लाभांश(शों) के साथ कथित शेयर(रों) के संबंध में आईईपीएफ के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यद्यपि, उपरोक्त अनुसार कथित अदावाकृत लाभांशों और हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप कंपनी को फोन: 0124-4233867, 011-41831717, ईमेल: jmaadminlegal@jmaindia.com पर लिख सकते हैं/सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
जेएमए मार्केटिंग लिमिटेड
हस्ता/–
अदिति अरोड़ा मलिक
निदेशक
(डीआईएन: 02704408)

स्थान: दिल्ली
तिथि: 22.07.2026

रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड

CIN: L50401DL2018PLC329756
पंजी. कार्यालय: के–24, अपर ग्राउंड, खसरा नं. 107/10 मुख्य मार्ग, राजा पूरी, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली–110059
ईमेल: cs@sawhneyauto.com; दूरभाष: 011–45622444
वेबसाइट: www.sawneyautomobile.com

09वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई–वोटिंग एवं पुस्तक बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड के सदस्यों की 09वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी जिसमे एजीएम के नोटिस, जो एजीएम बुलाने के लिए संचारित किया जा रहा है में, उल्लिखित व्यवसाय का निपटारा किया जायेगा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एजीएम का नोटिस 20 जुलाई, 2026 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिया है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.sawhneyauto.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 (फिलहाल लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्मूल्यांकन सहित) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्यों का मतदान मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 ("कट–ऑफ तिथि") को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि शनिवार, 8 अगस्त, 2026 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल की ई–वोटिंग प्रणाली द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

एजीएम में निपटाए जाने वाले व्यावसायिक मामलों से संबंधित दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी की 09वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बुधवार, 5 अगस्त, 2026 से मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी द्वारा एजीएम का नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर हासिल करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और जिसका नाम कट–ऑफ तिथि यानी 20 जुलाई, 2026 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामित्व के विवरण में दिखाई देता है, वह कंपनी की वेबसाइट www.sawhneyauto.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.cdslindia.com/ पर एजीएम बुलाने का नोटिस देख सकता है। ऐसे सदस्य एजीएम के उक्त नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि शेयरधारकों/निवेशकों को ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो आप https://www.cdslindia.com/ पर 'डाउनलोड' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('FAQs') और सीडीएसएल ई–वोटिंग मॉड्यूल देख सकते हैं या हमें helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या 1800–21–09911 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड
हस्ता./–
राहुल साहनी
(प्रबंध निदेशक)

दिनांक: 21.07.2026
स्थान: दिल्ली

मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड

सीआईएन : L74210HR2007PLC125245
पंजीकृत कार्यालय : जीएफ–48, भूतल, जेएमडी मेगापोलिस, सेक्टर–48, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122018
ई–मेल: mtplho@mtplonline.in , investorrelations@mtplonline.in
वेबसाइट: www.mtplonline.in

फॉर्म पीएएस–1
(कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 27(1) और कंपनीज़ (प्रोस्पेक्टस और सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट) रूल्स, 2014 के नियम 7(2) के तहत)

उन उद्देश्यों में बदलाव के लिए विशेष प्रस्ताव के नोटिस का विवरण देने वाला विज्ञापन, जिनके लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था।

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 03 जुलाई, 2026 को हुई अपनी बैठक में, मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को दोपहर 3:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओवीएम) के जरिए होने वाली 19वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी (स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से) मिलने पर, उन उद्देश्यों में से एक को बदलने का प्रस्ताव रखा है, जिनके लिए 22 दिसंबर, 2025 को प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था। यह प्रोस्पेक्टस 36,69,600 इक्विटी शेयरों के नए इश्यू (इश्यू प्राइस रु. 93 प्रति शेयर, कुल रु. 3,412.73 लाख) के संबंध में जारी किया गया था।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में, आगे यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए, सदस्यों द्वारा ई–वोटिंग के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित बदलाव का विवरण इस प्रकार है:

	विवरण	ब्यौरा
1.	उस उद्देश्य का विवरण जिसे बदला जाना प्रस्तावित है	उपकरण/मशीनरी/कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) की जरूरतों के लिए आवंटित रु.1,025.45 लाख को वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) की जरूरतों के लिए फिर से आवंटित करना।
2.	प्रस्तावित बदलाव	1. इक्विपमेंट/मशीनरी/कंप्यूटर आदि खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर